विभाग का नाम : खाद्य, सम्भरण एवं उपभोक्ता कार्य कलाप विभाग आपूर्ति
विभाग का पता : के–ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली.

तारांकित प्रश्न संख्या– 21
दिनांक : 30 जुलाई, 2021
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री जरनैल सिंह

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
क)	नया राशनकार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया क्या है;	वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार राशन कार्ड जारी होने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है :– **<u>ऑनलाइन प्रक्रिया</u>** • ऑनलाइन आवेदन पत्र e-District पोर्टल पर किए जाते हैं । • e-District पोर्टल से आवेदन NFS पोर्टल पर FSO द्वारा डाऊनलोड किए जाते है । • NIC द्वारा FSO एवं FSI को ID तथा पासवर्ड जारी किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कर पहले FSI जॉच रिपोर्ट/सत्यापन करते हैं साथ ही अन्य सत्यापित कागजात भी पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं । FSI द्वारा उसपर निर्णय (जारी करना/निरस्त करना/पुनः सत्यापन) लिया जाता है । • स्वीकृत प्रार्थना पत्र का कार्ड जारी किया जाता है । ➢ वर्तमान में विभाग में सभी राशन कार्ड के विभिन्न प्रकार के आवेदन e-District पोर्टल से प्राप्त किए जाते हैं । यदि किसी आवेदक को e-District पोर्टल से आनलाइन आवेदन करने में कठिनाई होती है तो वह अपने मण्डल कार्यालय जाकर मण्डलकर्मियों की सेवा का लाभ ले सकता है । ऐसे आवेदनो को मण्डल कार्यालय द्वारा e-district portal पर अध्यतन कर उनकी पावती दी जाती है।
ख)	नए राशनकार्ड के लिए वांछित दस्तावेज़ क्या हैं;	नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार से हैः– (1) परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड /आधार नामांकन (ई.आई.डी.) की कापी । (2) आवेदक के निवास प्रमाण पत्र की कॉपी यदि आवेदन में दिया हुआ पता, आधार कार्ड में दिए हुए पते या राशन कार्ड के पते से भिन्न है। (3) राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र, जहां आवश्यक हो।

ग)	तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक नए राशनकार्ड हेतु आवेदनों की संख्या क्या है;	तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से अब तक नए राशनकार्ड हेतु आवेदनों की संख्या 3658 है।
घ)	इनमें से स्वीकृत आवेदनों की संख्या; और	वर्ष 2015 से 26.07.2021 तक स्वीकृत आवेदनों की संख्या 1927 है। इनमें 2015 से पूर्व के आवेदन तथा अपील आवेदन भी शामिल हैं ।
ङ)	इनमें से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या व अस्वीकृति के कारण क्या हैं?	इनमें से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या वर्तमान में 2072 है । इनमें 2015 से पूर्व के आवेदन तथा अपील आवेदन भी शामिल हैं । अस्वीकृति के कारण निम्न प्रकार से हैं:– 1. दिए गए पते पर रहता नहीं पाया गया हो । 2. दिल्ली अन्य योजना के तहत लाभ ले रहा हो । 3. एक लाख से अधिक वार्षिक आय होना । 4. आवश्यक दस्तावेजों का जमा न करना । 5. सरकारी कर्मचारी होना । 6. 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन होना । 7. स्वयं का चार पहिया वान होना । 8. ए से ई श्रेणी में घर या जमीन होना । 9. भारतीय नागरिक न होना । 10. आयकर दाता होना । 11. अन्य ।

Secretary-Cum-Commissioner
Deptt. of Food,Supplies & Consumer Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi
K- Block, Vikas Bhawan, I. P. Estate
New Delhi- 110002